

कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
आदेशांक-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/ /2022 लखनऊ:दिनांक 01, फरवरी 2022

--: आदेश :-

सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-3, कानपुर के पत्रांक-46/2022, दिनांक 18.01.2022 पर सम्यक् विचारोपरान्त वैट एक्ट की धारा-57(12)(ई)(ii) के अंतर्गत निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ-4, कानपुर से पीठ-3, कानपुर की पत्रावली पर नियमानुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

क्रम सं०	अपील संख्या	फर्म का नाम व पता	क०नि० वर्ष
1	205/2020	स/ब सर्वश्री हरी ट्रेडर्स आवास विकास कल्याणपुर कानपुर	(12-13)
2.	206/2020	स/ब सर्वश्री हरी ट्रेडर्स आवास विकास कल्याणपुर कानपुर	(12-13)

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

ह0-01.02.2022

(जितेन्द्र कुमार सिंह)


एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या-वा0क0अधि0/अ0हस्ता0/ 175 /2022, दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-4, कानपुर।
- 2-सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-3, कानपुर।
- 3-असि० कमि०/रा० प्रति० 3 व 4 को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-वरिष्ठ सहायक विवरण, मुख्यालय।
- 5-आदेश की अनुरक्षण पत्रावली हेतु।
- 6-वेव अधिकारी मुख्यालय।

आज्ञा से,


निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।